न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

पीठासीन अधिकारी – राम निवास मेहता

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
96 / 2023	22.09.2023	10/1/2025

अब्दुलगनी पुत्र बशीरशाह जाति मुसलमान निवासी रामपुरा उर्फ रामपुरीया हाल इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्या जिला कोटा राज0

प्रतिवादी

उपस्थित वादी अधिवक्ता एस0एन0 मीणा

निर्णय

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955

संक्षेप में वाद इस प्रकार है माल रामपुरा पटवार हल्का किशनपुरा भू0 अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 संवत 2075 से 2078 खाता संख्या नया 65 पुराना 60 के ख0नं0 656 रकबा 0.15 है0 में 1/3 हिस्सा व वाके माल फतेपुर ख.नं. 193 रकबा 0.28 हिस्सा 1/3 वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड मे दर्ज है कुल किता का कुल रकबा 0.43 है0 आराजी खातेदारान कि सयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रहीं है ।

यह कि सयुक्त खातेदारी कि आराजी में वादी छोटा पुत्र बशीरशाह दर्ज है क्योंकि वादी सारे भाईयों मे एवं अपने पिता बशीरशाह का सबसे छोटा पुत्र था इस लिहाज से वादी को बचपन से छोटा ही बोलते थे इसलिए रेवेन्यु रेकार्ड में वादी का नाम भी रेवेन्यू अधिकारीयों ने जमाबन्दी में छोटा नाम दर्ज कर दिया जबकि वादी का नाम अब्दुलगनी है

यह कि वादी का जो वास्तविक नाम है उसको रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज नहीं किया वादी से बिना पुछे ही रेवेन्यु रेकार्ड में वादी का नाम छोटा पुत्र बशीरशाह दर्ज कर दिया तथा राजकीय दस्तावेज में वादी का जो नाम है उनको राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं किया और बोलते नाम को गॉव में पुछताछ कर रेवेन्यु अधिकारीयों ने रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज कर दिया वादी से राजकीय दस्तावेज नहीं लिये अगर वादी के दस्तावेज आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि पहचान के दस्तावेज लेकर नाम दर्ज किये जाते तो उक्त त्रुटी नहीं होती इस प्रकार वादी का राजकीय दस्तावेज मे नाम अब्दुल गनी है। लेकिन रेवेन्यु रेका में छोटा दर्ज कर दिया ।

Ramniwas

उपखण्ड अधि...

इटावा

यह कि वादी को उक्त दोनों नाम से पुकारा जाता है लेकिन वादी का नाम अन्य दस्तावेज आधार कार्ड वोटिंग लिस्ट जॉबकार्ड, राशनकार्ड, बैंक डायरी पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि में अब्दुलगनी है।

यह कि वादी के समस्त दस्तावेजो में नाम अब्दुलगनी पुत्र बशीरशाह होने से व जमाबन्दी में अन्य नाम छोटा पुत्र बशीरशाह होने से वादी को किसी भी राजकीय संस्थान में किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होता है सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी संस्थाओं में ऋण आदि प्राप्त नहीं कर सकता और विशेष तो वादी को प्रधान मंत्री सम्मान निधि प्राप्त नहीं होती है क्योंकी सरकारी पेंशन व अन्य सरकारी सहायता से वादी का गुजर बसर होता है और कई सारी अन्य परेशानियों का सामना भी करना पडता है।

यह कि उपरोक्त आराजी वादी के पितागणो उक्त भुमि धन्ना पुत्र भैरू जाति धाकड निवासी मण्डोला जिला बॉरा से खरीद किया था जिसके उपयोग उपभोग से वादी एव सयुक्त परिवार के सदस्य करते आ रहे है इसलिए वर्तमान में तमाम संस्थानो में उपयोग के लिय उक्त वादी के नाम का सहीं होना अति आवश्यक है उक्त नाम वादी के पिता बशीरशाह कि मृत्यु हो जाने से जरिये नामान्तकरण नाम दर्ज हुये है उक्त नामान्तकरण फौती नामान्तकरण है जो विरासतन रेवेन्यु रेकार्ड व रकबा के अनुसार सही है और नामान्तकरण में भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद विवाद नहीं है मात्र लैण्ड होण्डर से रिलिफ भुमि के रेकार्ड में नाम दुरस्त होने से सम्बन्धित प्रार्थना वाद पत्र में चाहीं गई है।

वादी द्वारा निवेदन किया है कि वाद पत्र में राज्य सरकार लैण्ड होल्डर होने कि वजह से पक्षकार बनाना एवं दो माह पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन वाद अर्जेन्ट नेचर का होने कि वजह से धारा 80 सी.पी. सी. का नोटिस समय अभाव में दिया जाना सम्भव नहीं है। इसलिए प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा 80 (2) सी.पी.सी. में अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र के साथ पेश है

यह कि वाद कारण 9/6/2023 को जब पैदा हुआ कि ने रेवेन्यु अधिकारीयों से कई मर्तबा प्रतिवादी एवं रेवेन्यु अधिकारीयों से वादी द्वारा अपने नाम को जमाबन्दी में दुरस्त करने के लिय निवेदन किया लेकिन रेवेन्यु अधिकारीयों ने वादी कि एक भी नहीं सुनी और आखरीबार जब प्रार्थीगण तहसीलदार पीपल्दा के पास दिनांक 9/6/2023 को गया और अपने नाम संशोधन के लिय निवेदन किया तो उन्होने कहां कि आप न्यायालय में कार्यवाही करे इस लिए वादी को न्यायालय में नाम दुरस्ती का वाद पत्र प्रस्तुत करने को मजबूर होना पड़ा है।

अतः वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के सयुक्त खाते कि आराजी एवं जमाबन्दी वाके माल रामपुरा पटवार हल्का किशनपुरा भु0 अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज संवत

Ramniwas
उपखण्ड अधिकारी
इटावा

2075 से 2078 खाता संख्या नया 65 पुराना 60 के ख.नं. 656 रकवा 0.15 है० में 1/3 हिस्सा व वाके माल फत्तेपुर ख० नं० 193 रकवा 0.28 हिस्सा 1/3 वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज है कुल किता का कुल रकवा 0.43 है० आराजी खातेदारान कि सयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रहीं है उक्त भूमि एवं रेवेन्यु रेकार्ड में वादी का नाम बाद पत्र के साथ प्रस्तुत राजकीय दस्तावेजो के अनसार एवं रेवेन्यु विभाग से वाद से पूर्व के दस्तावेजों के अनुसार वादी का नाम अब्दुलगनी है लेकिन रेवेन्यु रेकार्ड में छोटा दर्ज कर दिया वादी का नाम अब्दुलगनी है इस प्रकार से वादी का नाम अब्दुलगनी पुत्र बशीरशाह दुरस्त कर रेवेन्यु रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिये सम्मन करवायी गई। दिनांक 25.10.2024 को तहसीलदार पीपल्दा पत्र क्रमांक राजस्व/2024/834 दिनांक 14.06.2024 द्वारा जवाब सरकार पेश किया। जवाब सरकार में सरकार पैरोकार तहसीलदार पीपल्दा द्वारा प्रस्तुत जवाब सरकार में पटवारी किशनपुरा की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम रामपुरा पटवार मण्डल किशनपुरा की जमाबंदी संवत 2075–75 जमाबंदी 2076 के स्थायी खाता संख्या 65 ख.नं. 656 रकबा 0रू15 है० में इस्हाक पुत्र आसीन हि. 1/18 मुलजार पुत्र आसीन हि. 1/18 छोटा पुत्र बजीरशाह हि. 1/3 वसीरा पुत्री आसीन हि. 1/18 मुराड पुत्री आसीन हि. 1/18 मोहम्मद हमीद पुत्र रसूल हि. 1/6 रमजी पुत्र पत्नि स्व. रसूल हि. 1/6 रहमत पत्नी स्व. आसीन हि. 1/18 लुकमान पुत्र आसीन हि. 1/18 जाति फकीर सा. देह दर्ज रिकार्ड है एवं पटवारी हल्का किशनपुरा मौका रिपोर्ट के अनुसार छोटा पुत्र बजीरशाह व अब्दुल गनी दोनों एक ही व्यक्ति है। पत्रावली वास्ते बहस में नियत की गई दौराने बहस में वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौराया गया। पत्रावली का अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र के आधार पर छोटा पुत्र बजीरशाह व अब्दुल गनी दोनों एक ही व्यक्ति है। पत्रावली में प्रतिवादी के प्रस्तुत जवाब सरकार में दोनों नाम एक ही व्यक्ति के होना बताया गया है। अत बादी का नाम छोटा पुत्र वजीरशाह के स्थान पर अब्दुल गनी पुत्र बजीरशाह अंकित कर खातेदार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यह कि माल रामपुरा पटवार हल्का किशनपुरा भु० अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज संवत 2075 से 2078 खाता संख्या नया 65 पुराना 60 के ख.नं. 656 रकबा 0.15 है0 में 1/3 हिस्सा व वाके माल फत्तेपुर 1० न० 193 रकबा 0.28 हिस्सा 1/3 वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज है कुल किता का कुल रकबा 0.43–है आराजी में वादी का नाम छोटा पुत्र वजीरशाह के स्थान पर अब्दुल गनी उर्फ छोटा पुत्र वजीरशाह अंकित करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिकी जारी की जावें।

Ramniwas

निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर आज दिनांक 10/4/2025 को रारे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Ramniwas

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा
इटावा